



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-प.2(सब)/4858/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक:-

कार्यालय-आदेश

श्री राम चन्द्र सूत्रकार, सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सीकर द्वारा राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 24, 2020 में अपना नाम राम चन्द्र सूत्रकार के स्थान पर रामचन्द्र पोरवाल रखे जानें का प्रकाशन कराया है।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8-क(5) के तहत राजस्थान राजपत्र में उक्तानुसार प्रकाशन कराये जानें के फलस्वरूप इनका नाम राम चन्द्र सूत्रकार के स्थान पर रामचन्द्र पोरवाल परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(डॉ० ओम प्रकाश)

आयुक्त कृषि

दिनांक:- 11/01/2022

क्रमांक:-प.2(सब)/4858/आ.कृ./गुप-9/18586-92

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) सीकर।
2. उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद, सीकर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सहायक निदेशक कृषि (वि) सीकर।
5. श्री राम चन्द्र सूत्रकार (नया नाम रामचन्द्र पोरवाल), सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सीकर।
6. निजी पंजिका।

(कैलाश चन्द मीना)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)